"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 585] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2014— कार्तिक 16, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-98/2014/18 (1). — छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पालिका सुकमा जिला-सुकमा के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

आरक्षित वार्डों की सूची

क्र. (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	-	निरंक
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	-	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	3	छत्रपति शिवाजी वार्ड
		9	महादेव वार्ड
		10	शांति नगर वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	7	महात्मा गांधी वार्ड
		8	बिरसामुंडा वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	13	चन्द्रशेखर वार्ड
		15	रंगाराज वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	11	गायत्रीमाता वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	महिला वर्ग	1	सुभाष चन्द्र बोस वार्ड
		4	पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-98/2014/18 (1).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-98/2014/18 (1), दिनांक 07-11-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-98/2014/18 (1). — The list of the Reservation of Wards for Municipal Council Sukma, Distt. Sukma is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	-	Nil
2.	Scheduled Caste (Female)	-	Nil Ward
3.	Scheduled Tribes	3	Chhatrapati Shivaji Ward
		9	Mahadev Ward
		10	Shanti Nagar Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	7	Mahatma Gandhi Ward
		8	Birsamunda Ward
5.	Other Backward Class	13	Chandrashekhar Ward
		15	Rangaraj Ward
6.	Other Backward Class (Female)	11	Gayatrimata Ward
7.	Female	1	Subhash Chandra Bose Ward
		4	Pt. Jawahar Lal Nehru Ward

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-98/2014/18 (2). — छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत दोरनापाल, जिला-सुकमा के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

आरक्षित वार्डों की सूची

क्र. (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	-	निरंक
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	-	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	9	स्वामी विवेकानंद नगर वार्ड
		10	पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड
		12	इंदिरा नगर वार्ड
		13	डॉ. अम्बेडकर नगर वार्ड
		14	शहीद भगत सिंह नगर वार्ड
		15	बालाजी नगर वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	1	सुभाष नगर वार्ड
		6	पं. दीनदयाल नगर वार्ड
		11	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	-	निरंक
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	-	निरंक
7.	महिला वर्ग	4	शीतलामाता नगर वार्ड
		7	गांधी नगर वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

क्रमांक एफ 1-98/2014/18 (2). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-98/2014/18 (2), दिनांक 07-11-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F 1-98/2014/18 (2). — The list of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Dornapal, Distt. Sukma is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	-	Nil
2.	Scheduled Caste (Female)	-	Nil
3.	Scheduled Tribes	9	Swami Vivekanand Nagar Ward
		10	Pt. Jawahar Lal Nehru Ward
		12	Indira Nagar Ward
		13	Dr. Ambedkar Nagar Ward
		14	Shaheed Bhagat Singh Nagar Ward
		15	Balaji Nagar Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	1	Subhash Nagar Ward
		6	Pt. Deendayal Nagar Ward
		11	Sardar Vallabh Bhai Patel Ward
5.	Other Backward Class	-	Nil
6.	Other Backward Class (Female)	-	Nil
7.	Female	4	Sheetlamata Nagar Ward
		7	Gandhi Nagar Ward

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.